प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 518 / 2022

अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बेगराज पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. द्वारका प्रसाद पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. कृष्णलाल पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 21.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 67 / 68 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.5910 है0 भूमि व खाता संख्या 68 / 69 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 3.2890 है0 भूमि व रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 63 / 61 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 5. 2370 है0 भूमि में से 759 / 5237 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि का तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वयोवृद्ध व्यक्ति है तथा उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रखना चाहता है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने तीनो पुत्रों को बराबर–बराबर हक त्याग कर चुका है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग पत्र के भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:57 IST
Reason: SelfAttested

ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल एवं पक्षकारान का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 67/68 की कुल 0.5910 है0 भूमि व खाता संख्या 68/69 की कुल 3.2890 है0 भूमि व रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 63/61 के की कुल 5.2370 है0 भूमि में से 759/5237 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी स0 1 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 67/68 की कुल 0.5910 है0 भूमि व खाता संख्या 68/69 की कुल 3.2890 है0 भूमि व रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 63/61 की कुल 5.2370 है0 भूमि में से 759/5237 हिस्सा भूमि उपरोक्त तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–रतनपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 518/2023
अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बेगराज पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. द्वारका प्रसाद पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. कृष्णलाल पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 518 सन 2023 निर्णय दिनांक 21.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 67/68 की कुल 0.5910 है0 भूमि व खाता संख्या 68/69 की कुल 3.2890 है0 भूमि व रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 63/61 की कुल 5.2370 है0 भूमि में से 759/5237 हिस्सा भूमि उपरोक्त तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:57 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–रतनपुरा